न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास राजेश कुमार मीणा, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 23 / 2022 / दावा 136 एलआरएक्ट

सांवर मल उर्फ श्रवण कुमार पुत्र गणपत जाति मीणा निवासी ग्राम मदनी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज0)।

– प्रार्थी

ब ना म

1 तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)
2 नायब तहसीलदार, उपतहसील पलसाना जिला सीकर

– अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 136 L.R.Act. बाबत
इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थिति–

1. श्री सागरमल मीणा वकील प्रार्थी की ओर सें।
2. अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

नि र्ण य दिनांक– 14.07.2022

1 आवेदन पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि वाके ग्राम मदनी पटवार हल्का मण्ढा मदनी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में आराजियात कृषि भूमि ख.नं. 891 ता 897 कुल किता 7 कुल रकबा 5.86 हैक्टर व ख.नं. 1129 रकबा 0.35 हैक्टर गै.मु. सडक कुल किता 1 रकबा 0.35 हैक्टर अवस्थित है। उपरोक्त वर्णित भूमि में वादी अपने हिस्से पर खातेदार काश्तकार है। वादी अपने हिस्से पर काबिज आबाद होकर खेती काश्त कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। वाद पत्र में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम श्रवण कुमार लिखा हुआ है जबकि वादी के आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस एवं सम्पूर्ण दस्तावेजात में वादी का नाम सांवर मल अंकित है जो सही व सत्य है, इसलिए वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम श्रवण कुमार के स्थान पर सांवर मल दर्ज करने का आदेशित किया जाना उचित व न्यायोचित है। वादी एक किसान व्यक्ति है जो उक्त खेती में काश्त कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है लेकिन वादी

उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ

नाम राजस्व रिकार्ड में सही नाम सांवर मल दर्ज नहीं होने से वादी को सरकार द्वारा काश्त भूमि पर दी जाने वाली सुविधाओं जैसे केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली अनुदान राशि और खाद बीज सब्सिडी आदि का फायदा नहीं मिल रहा है इसलिए वादी सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं से वंचित रह रहे है इसलिए वादी के राजस्व रिकार्ड में श्रवण कुमार के स्थान पर सांवर मल दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः आवेदन पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन स्वीकार कर विवादित भूमि खसरा नम्बर 891 ता 897 कुल किता 7 कुल रकबा 5.86 हैक्टर व ख.नं. 1129 रकबा 0.35 हैक्टर वाके ग्राम मदनी पटवार हल्का मण्ढा–मदनी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज प्रार्थी का नाम श्रवण कुमार के स्थान पर प्रार्थी का नाम सांवरमल दर्ज किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

2 आवदेन पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजुद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। तहसीलदार दांतारामगढ से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। प्रार्थी सावरमल ने स्वयं का शपथ पत्र पेश किया। वकील प्रार्थी की बहस एक पक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि वादी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज दर्ज प्रार्थी का नाम श्रवण कुमार के स्थान पर प्रार्थी का नाम सांवरमल दर्ज किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

3 बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया तथा आवदेन पत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि राजस्व ग्राम मदनी के ख.नं. 891 से 897 किता 7 कुल रकबा 5.86 है. एवं ख.नं. 1129 रकबा 0.35 है. में श्रवण पुत्र गणपत जाति मीणा की खातेदारी दर्ज है तथा पुराने समय से ही

उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ

पुत्र गणपत दर्ज है जबकि वादी को पूछने पर बताया की मेरा बचपन का नाम श्रवण था परन्तु मेरे सम्पूर्ण दस्तावेजो में सांवरमल पुत्र गणपत दर्ज है तथा वादी ने ग्राम पंचायत मदनी द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी पेश किया गया जिसमें सांवरमल उर्फ श्रवण मीणा पुत्र गणपतराम एक ही व्यक्ति के दो नाम बताये है तथा वादी ने अपना आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड की प्रति पेश की जिसमें सांवरमल पुत्र गणपतराम दर्ज है। अतः वादी द्वारा पेश किये गये दस्तावेज, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र व पूछताछ के आधार पर श्रवण पुत्र गणपतराम के स्थान पर श्रवणराम उर्फ सांवरमल पुत्र गणपतराम अंकन दुरूस्त किये जाने योग्य है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि प्रार्थी का आवेदन रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार योग्य है। **प्रार्थी का आवदेन रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा 891 ता 897 कुल किता 7 कुल रकबा 5.86 हैक्टर व ख.नं. 1129 रकबा 0.35 हैक्टर वाके ग्राम मदनी पटवार हल्का मण्ढा–मदनी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में दर्ज प्रार्थी का नाम श्रवण कुमार के स्थान पर प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम सांवरमल उर्फ श्रवण कुमार दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 14.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/7/22

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ